न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम :– बृजेश गुप्ता (R.A.S)
प्रकरण संख्या :– 24 / 1998
किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक :– 13.04.1998
निर्णय दिनांक :– 28.01.25

अनवान

1. चतर्भुज पिता परसराम जी पालीवाल मृतक के बजाय :–
   1/1 श्रीमती जमनबाई पत्नी स्व. चतर्भुज जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
   1/2 उदयलाल पिता स्व. चतर्भुज जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
   1/3 श्री भैरुशंकर जी पिता स्व. चतर्भुज जी पालीवाल मृतक के बजाय
   1/3/1 श्रीमती नर्मदादेवी पत्नी स्व. भैरुशंकर जी आयु वयस्क
   1/3/2 श्री निर्मल कुमार पिता स्व. भैरुशंकर जी आयु वयस्क
   1/3/3 श्री केलाश। पिता स्व. भैरुशंकर जी आयु वयस्क
   1/3/4 श्रीमती मंजू पुत्री स्व. भैरुशंकर जी पत्नी सूर्यप्रकाश जी आयु वयस्क
   1/3/5 श्रीमती जानकी पुत्री स्व. भैरुलाल जी पत्नी कन्हैयालाल जी आयु वयस्क निवासियान डिप्टी) तहसील एवं जिला राजसमन्द
   1/4 श्री भंवरलाल पिता स्व. चतर्भुज जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
   1/5 श्री निरंजन कुमार पिता स्व. चतर्भुज जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
   1/6 श्रीमती गीताबाई पुत्री स्व. चतर्भुज जी पत्नी कालूराम जी निवासी छोटा भाणुजा। तहसील खमनौर जिला राजसमन्द
   1/7 श्रीमती धापूबाई पुत्री स्व. चतर्भुज जी पत्नी सत्यनारायण पालीवाल निवासी ब्राह्मणों का खेरवाडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
   1/8 श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्व. चतर्भुज जी पत्नी स्वरुपनारायण जी निवासी ब्राह्मणों का खेरवाडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
   1/9 श्रीमती हीराबाई पुत्री स्व. चतर्भुज जी पत्नी कालूराम जी मृतक के बजाय
   1/9/1 श्री कालूराम पिता हरिशंकर जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी छोटा भाणुजा तहसील खमनौर जिला राजसमन्द
   1/9/2 श्री रामचंद्र पिता कालूराम जी पातीवाल आयु वयस्क निवासी छोटा भाणुजा तहसील खमनौर जिला राजसमंद
   1/9/3 श्री कृष्णकांत पिता कालूराम जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी छोटा भाणुजा तहसील खमनौर जिला राजसमन्द
   1/9/4 श्रीमती यमुनाबाई पुत्री कालूराम जी पत्नी शंकरलाल पालीवाल आयु वयस्क निवासी मचीन्द तहसील खमनौर जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
   1/9/4/1 श्री जगदीश पिता श्री शंकरलाल जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी लक्ष्मी प्लाईवुड) आशापुरा कॉलोनी) प्रतापनगर चौराहा, उदयपुर
   1/9/4/1 श्री धर्मेश पिता श्री शंकरलाल जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी लक्ष्मी प्लाईवुडा आशापुरा कॉलोनी। प्रतापनगर चौराहा। उदयपुर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

1/9/4/3 श्रीमती कमला पुत्री शंकरलाल जी पत्नी श्री कन्हैयालाल पालीवाल आयु वयस्क निवासी लक्ष्मी प्लाईवुड) आशापुरा कॉलोनी) प्रतापनगर चौराहा) उदयपुर
1/9/5 श्रीमती मनोहर पुत्री कालूराम जी पत्नी सुरेश जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर
1/9/6 श्रीमती मंजू पुत्री कालूराम जी पत्नी रामकिशन जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी खालिवाल टैंक इंदौर मध्य प्रदेश
1/9/7 श्रीमती पुष्प पुत्री कालूराम जी पत्नी बद्रीनारायण जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी ब्राह्मणों का खेरवाडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर

2. श्री बद्रीनारायण पिता स्व. शिवनाथ जी पालीवाल मृतक के बजाय
2/1 श्रीमती गणेशी देवी पत्नी स्व. बद्रीनारायण जी पालीवाल निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
2/2 श्रीमती भंवरीदेवी पुत्री स्व. बद्रीनारायण जी पत्नी स्व. रमेशचंद्र पालीवाल निवासी पालीवाल भवन एस.बी.बी.जे. बैंक के सामने चौड़ा रास्ता जयपुर मृतक के बजाय
2/2/1 श्री अनुपम पिता स्व. रमेशचन्द्र जी पालीवाला आयु वयस्क
2/2/2 श्री सुशील पिता स्व. रमेशचंद्र जी पालीवाल आयु वयस्क निवासियान चौड़ा रास्ता ताडकेश्वरजी के सामने पालीवालो की गली जयपुर
2/2/3 श्रीमती पूनम पुत्री रमेशचंद्र जी पत्नी विष्णु जी पालीवाल
2/2/4 श्रीमती नीलम (लता) पुत्री रमेशचंद्र जी पत्नी चंद्रप्रकाश जी पालीवाल निवासी जयलाल मुंशी का रास्ता दूसरा चौराहा गणेश जी मंदिर वाले पालीवाल भवन पुराणी बस्ती जयपुर
2/3 श्रीमती जशोदा देवी पुत्री स्व. बद्रीनारायण जी पत्नी शिवलाल जी पालीवाल निवासी ब्राह्मणों का खेरवाडा तहसील झाडोल जिला उदयपुर
2/4 श्री लक्ष्मीनारायण पिता स्व. बद्रीनारायण जी पालीवाल निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
2/5 श्रीमती पप्पुदेवी पुत्री स्व. बद्रीनारायण जी पत्नी शिवशंकर जी पालीवाल निवासी ब्राह्मणों का खेरवाडा तहसील झाडोल जिता उदयपुर
2/6 श्री मुकेश पिता स्व. बद्रीनारायण जी पालीवाल निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
2/7 श्री रमेश पिता स्व. बद्रीनारायण जी पातीवाल निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
2/8 श्री राजनारायण पिता स्व. बद्रीनारायण जी पालीवाल निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द

3. श्री नारायणलाल पिता स्व. शिवनाथ जी पालीवाल मृतक के बजाय
3/1 श्रीमती हिराबाई पत्नी स्व. नारायणलाल जी पालीवाल
3/2 श्री प्रह्लादृनारायण पिता स्व. नारायणलाल जी पालीवाल
3/3 श्री गोविन्दनारायण पिता स्व. नारायणलाल जी पालीवाल
3/4 श्री हरिनारायण पिता स्व. नारायणलाल जी पालीवाल निवासियान डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
3/4/1 श्रीमती राधादेवी पत्नी स्व. हरिनारायण पालीवाल, उम्र–वयस्क
3/4/2 श्री गौरव पुत्र स्व. श्री हरिनारायण पालीवाल, उम्र–वयस्क
3/4/3 सुश्री आंचल पुत्री स्व. श्री हरिनारायण पालीवाल, उम्र–वयस्क निवासीयान–डिप्टी, तहसील व जिला राजसमन्द ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

3/5 श्री कौशल्या उर्फ मुन्नी पुत्री स्व. नारायणलाल जी पत्नी ओमप्रकाश जी जोशी निवासी उदयपुर
3/6 सुमन उर्फ सुषिमा पुत्री स्व. नारायणलाल जी पत्नी मदनलाल जी निवासी जयपुर
3/7 श्रीमती मनोहरीदेवी पुत्री स्व. नारायणलाल जी पत्नी विष्णु जी जोशी
3/8 श्रीमती भावना उर्फ भानु पुत्री स्व. नारायणलाल जी पत्नी दीपक जी जोशी निवासी जयपुर
4. श्री भंवरलाल पिता स्व. शिवनाथ जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
5. श्री प्रभुलाल पिता स्व. गोपाल जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
6. श्रीमती नारायणी पत्नी स्व. गोपाल जी पालीवाल आयु वयस्क निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
7. कुसुम पिता स्व गोपाल जी पालीवाल आयु अवयस्क जरिये संरक्षक माता श्रीमती नारायणी निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
8. श्रीमती मोहनबाई पुत्री स्व. शिवनाथ जी पत्नी अम्बालाल जी पालीवाल निवासी गोदाना तहसील झाडोल जिला उदयपुर मृतक के बजाय
8/1 सत्यनारायण पिता अम्बालाल पालीवाल, निवासी गोदाणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।
8/2 रमेश्वर पिता अम्बालाल पालीवाल, निवासी गोदाणा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर।
8/3 सीता देवी पुत्री स्व. मोहनबाई पत्नी श्री किशनलाल जी पालीवाल, निवासी गोविन्ददेव कॉलोनी, चौगान स्टेडियम के पीछे जयपुर।
8/4 जशोदा देवी पुत्री स्व. मोहनबाई, पत्नी श्री रमेश जी पालीवाल, निवासी डाडिया गली, सीता माता का मंदिर, मंदसौर (मध्यप्रदेश)
8/5 मुन्नीदेवी पुत्री स्व. मोहनबाई, पत्नी श्री मदनलाल पालीवाल, निवासी कोशीयाड़ा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द ।
9. श्रीमती ताराबाई पुत्री स्व. शिवनाथ जी पत्नी स्व. सुरजनारायण जी निवासी कटकियावाले प्रतापगढ़ पुलिया के पास मंदसौर मध्यप्रदेश
10. श्रीमती केंदा पुत्री स्व. गोपाल जी पत्नी प्रहलाद जी पालीवाल निवासी मकान न. 450 गोविन्दराय जी रास्ता पी.एन. टेलर के सामने वाली गली में चौद पोल बाजार जयपुर
11. श्रीमती राम पिता स्व. गोपाल जी पत्नी रामसरन जी पालीवाल निवासी मकान न. 450 गोविन्दराय जी रास्ता पी.एन. एलर के सामने वाली गली में चौद पोल बाजार जयपुर
12. ख्यालीलाल पिता स्व. कहैयालाल जी पालीवाल निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द मृतक के बजाय रू–
12/1 श्रीमती दयाबाई पत्नी स्व. ख्यालीलाल जी पालीवाल
12/2 रमेश कुमार उर्फ रामू पिता स्व. ख्यालीलाल जी
12/3 भरत कुमार पिता स्व. ख्यालीलाल जी पालीवाल निवासियान डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
12/4 श्रीमती पिंकी पुत्री स्व. ख्यालीलाल जी पत्नी बृजमोहन जी पुरोहित निवासी चिकलवास तह. खमनौर जिला राजसमन्द
12/5 शिवांक पिता स्व. ख्यालीलाल जी पालीवाल जरिये प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती दयाबाई निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

13. कैलाश पिता स्व. कन्हैयालाल जी पालीवाला निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
14. भैरुशंकर पिता स्व. कन्हैयालाल जी पालीवाल) निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
15. श्रीमती नाथी पत्नी स्व. कन्हैयालाल जी पालीवाल निवासियान डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
16. श्रीमती कमलाबाई पत्नी रामलाल जी पिता स्व. कन्हैयालाल जी मृतक के बजाय
16/1 रामलाल उर्फ रामस्वरूप पति स्व. कमलाबाई पिता हरिनारायण जी पालीवाल
16/2 गिरधारीलाल पिता रामलाल जी उर्फ रामस्वरूप जी पालीवाल
16/3 अशोक पिता रामलाल जी उर्फ रामस्वरूप जी पालीवाल
16/4 कैलाश पिता रामलाल जी उर्फ रामस्वरूप जी पालीवाल निवासियान नारानिया का रास्ता मकान न. 912 जयपुर
16/5 श्रीमती संतोष पिता रामलाल जी उर्फ रामस्वरुप जी पत्नी पवन जी पालीवाल निवासी प्लाट न. 169 डिस्पेंसरी के पास सुन्दर मार्ग तिलक नगर जयपुर
17. श्रीमती कैलाशबाई पिता स्व. कन्हैयालाल जी पत्नी केशुलाल जी निवासी कोशिवाडा तहसील खमनौर मृतक के बजाय
17/1 राधेश्याम पिता केशुलाल जी मृतक के बजाय
17/1/1 रूपा पत्नी स्व. राधा जी निवासी कोशीवाड़ा
17/1/2 संजय पिता स्व. राधेश्याम जी निवासी कोशीवाडा
17/1/3 अमित पिता स्व. राधेश्याम जी निवासी कोशीवाडा
17/1/4 रेखा पुत्री राधेश्याम जी पत्नी महेंद्र जी पालीवाल निवासी देवथडी तहसील एवं जिला राजसमन्द
17/2 बसंतीलाल पिता केशुलाल जी
17/3 हिम्मत पिता केशुलाल जी निवासियान कोशीवाडा तहसील खमनौर जिला राजसमन्द
17/4 भंवरीदेवी पिता केशुलाल जी पत्नी मांगीलाल जी उर्फ लाल जी निवासी देवथडी तहसील एवं जिला राजसमन्द
17/5 श्रीमती संतोषी देवी पिता केशुलाल जी पत्नी मदनलाल जी मृतक के बजाय
17/5/1 मदन पिता देवीलाल जी निवासी देवथडी तहसील एवं जिला राजसमन्द
17/5/2 पिंकी पुत्री मदन जी पत्नी नमन जी निवासी महावीर नगर राजनगर जिला राजसमन्द
17/5/3 पूजा पुत्री मदन जी पत्नी विशाल जी निवासी गोदाना तहसील झाडोल जिला उदयपुर
18. श्रीमती भागुबाई पिता स्व. कन्हैयालाल जी पत्नी बिहारीलाल जी दवे निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
18/1 अशोक पिता बिहारीलाल जी पातीवात आयु वयस्क
18/2 शंकरलाल पिता बिहारीलाल जी पालीवाल आयु वयस्क
18/3 श्रीमती लाली पुत्री बिहारीलाल जी पत्नी कैलाशचन्द्र जी तिवारी आयु वयस्क
18/4 श्रीमती गहू उर्फ तारा पुत्री बिहारीलाल जी पत्नी लक्ष्मीलाल जी तिवारी आयु वयस्क सभी निवासियान देवथडी) पोस्ट सुन्दरचा तहसील एवं जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

19. श्रीमती छन्नुबाई पिता स्व. कन्हैयालाल जी पत्नी स्व. सोहनलाल जी निवासी भोराना तहसील झाडोल जिला उदयपुर
20. श्रीमती बसंतीबाई पिता स्व. कन्हैयालाल जी पत्नी स्व. रामनारायण जी दवे मृतक के बजाय
    20/1 होशियारचंद पिता स्व. रामनारायण जी दवे निवासी डिप्टी तहसील एवं जिला राजसमन्द
21. श्रीमती मुन्नीबाई पिता स्व. कन्हैयालाल जी पत्नी विष्णुनारायण पालीवाल निवासी नातानियों का रास्ता मकान न. 912 जयपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मदनमोहन पुत्र स्व. भंवरलाल, जाति पालीवाल जोशी, निवासी डिप्टी, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. राधामोहन पुत्र स्व. भंवरलाल, जाति पालीवाल जोशी, निवासी डिप्टी तहसील व जिला राजसमन्द।
3. हरिमोहन पुत्र स्व. भंवरलाल, जाति पालीवाल जोशी, निवासी डिप्टी, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. शिवमोहन पुत्र स्व. भंवरलाल, जाति पालीवाल जोशी, निवासी डिप्टी, तहसील व जिला राजसमन्द, हाल निवासी नागरवाड़ी, उदयपुर।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट एवं आदेश 40 नियम 1, 2 सपठित धारा 15 जाब्ता दीवानी

उपस्थित :–
अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री धनेन्द्र मेहता
अधिवक्ता विपक्षीगण – श्री अनिल जोशी

आदेश

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट एवं आज्ञा 40 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी रिसीवर नियुक्ति एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया जिसके सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पक्षकारों के परिवार में मूल पुरुष परसराम एवं भवानीशंकर जी थे, जिनमें भवानीशंकर का लाऔलाद स्वर्गवास हो गया और परसराम जी के सात पुत्र देवकिशन, मगनलाल, शिवनाथ, कन्हैयालाल, चतरभुज, विजयशंकर एवं जगन्नाथ थे जिनमें से विजयशंकर व जगन्नाथ का भी लाऔलाद स्वर्गवास हो गया। देवकिशन उक्त सातों भाईयों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे जिसके कारण ग्राम डिप्टी, तहसील राजसमन्द एवं ग्राम धोइन्दा में स्थित मौरूसी जायदाद सम्मान की दृष्टि से राजस्व अभिलेखों में देवकिशन के नाम साबिक भू प्रबन्ध में अकेले के नाम दर्ज हुई, लेकिन उक्त मौरूसी कृषि भूमियां संयुक्त परिवार की सम्पत्तियां होकर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

परसराम के सातों पुत्रों के समान स्वामित्व, हित व अधिकार की होकर अविभाजित थीं एवं सातों पुत्रों की संयुक्त थीं। ग्राम धोइन्दा, तहसील राजसमन्द में कृषि भूमिया स्थित है जिनके आराजी नंबर 621 रकबा पौन बीघा दो बिस्वा, 2217 पौन बीघा, 392 सवा बीघा, 469 पौन बीघा, 470 तेरह बिस्वा, 520 सवा बीघा, 525 ग्यारह बिस्वा 526 नौ बिस्वा, 698 ग्यारह बिस्वा, 699 बारह बिस्वा, 700 तेरह बिस्वा, 701 अठारह बिस्वा, 702 पौन बीघा, 2190 दो बीघा व 2191 डेढ़ बीघा चार बिस्वा हैं। उक्त आराजियात के साबिक नंबर क्रमशः 689, 1944, 1946, 396/1, 396/2, 1446/2, 1445, 659, 664, 662, 721, 724, 1941 व 1942 हैं। ग्राम डिण्टी तहसील राजसमन्द में कृषि आराजियात स्थित है जिनके वर्तमान आराजी नंबर 12 सवा बीघा चार बिस्वा, 13 ग्यारह बिस्वा, 21 तेरह बिस्वा, 420 डेढ़ बीघा दो बिस्वा, 227 एक बीघा एवं आराजी नंबर 223 डेढ़ बीघा तीन बिस्वा हैं। उक्त आराजियात के साबिक नंबर क्रमशः 3 मीन, 1 मीन, 9 मीन, 422, 240, 239 व 239 मीन एवं 237 मीन हैं। उक्त आराजियात में से ग्राम धोइन्दा की उक्त आराजियात एवं इसके साथ अन्य आराजियात मौरूसी सम्पत्ति थी, जिसके संबंध में विवाद होने से मगनलाल, शिवनाथ, कन्हैयालाल, चतरभुज ने दीवानी वाद सं. 50/54 न्यायालय जिलाधीश, उदयपुर में श्रीमती भानुबाई विधवा बिहारीलाल व देवकिशन पिता परसराम के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें पक्षकारों के मध्य दिनांक 12.03.1956 को आपसी समझौते से वाद उठा लिया और समझौते के अनुसार ग्राम धोइन्दा एवं ग्राम डिण्टी की आराजियात में उक्त देवकिशन, मगनलाल, शिवनाथ, कन्हैयालाल, चतरभुज का भी समान स्वामित्व, हित व अधिकार मानते हुए देवकिशन के मृतक पुत्र बिहारीलाल की विधवा भानुबाई का कोई स्वत्व, हित व अधिकार नहीं होने के बावजूद परिवार की गरिमा के लिए 1/6 हिस्सा उसे अपने जीवन पर्यन्त लाइफ स्टेट के रूप में प्रथम बार दिया गया और शेष हिस्सा देवकिशन, मगनलाल, शिवनाथ, कन्हैयालाल व चतरभुज के रखा गया। आपसी समझौता दिनांक 09.08.1965 के अनुसार उक्त श्रीमती भानुबाई के संबंध में फैसला किया गया कि वह जब तक जीवित रहेगी तब तक उसके हिस्से का उपयोग-उपभोग कर सकेगी और उसके स्वर्गवास के बाद उसके उक्त हिस्से को उक्त पांचों भाईयों या उनके उत्तराधिकारियों में सम्मिलित रूप से विभाजित कर लिया जायेगा तथा राजस्व प्रयोजनों में हिस्सा अंकित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को प्रार्थना पत्र में दर्शितानुसार हिस्सा अंकित कराने एवं विभाजन कर स्वतंत्र आधिपत्य के लिए

सहायक कलक्टर

कहने पर टालमटोल कर रहे हैं तथा उक्त आराजियात में मृतक भागुबाई का हिस्सा अकेले अपने नाम नामान्तरित करवाने एवं अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने एवं वर्तमान में भूमियों में खड़ी पूरी फसल प्राप्त करने पर आमादा हैं। मृतका भागुबाई के स्वर्गवास से पहले तक उक्त वादग्रस्त भूमियां भागुबाई को अपने जीवनपर्यन्त उपयोग एवं उपभोग के लिए दे रखी थीं जिससे वादग्रस्त आराजियात भागुबाई के आधिपत्य में थीं और अब चूंकि श्रीमती भागुबाई का स्वर्गवास हो गया है और वादग्रस्त सम्पत्ति पर आधिपत्य को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद हो गया है और वादग्रस्त सम्पत्ति पर आधिपत्य संबंधी प्रश्न को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया है तथा चूंकि वाद घोषणा व विभाजन का है। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति मीडियो (Medio) में होकर श्रीमती भागुबाई के सिजारियों द्वारा काश्त की जा रही है जिससे फसल आदि प्राप्त करने में भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति है तथा खड़ी फसल के संबंध में विपक्षीगण सिजारिओं पर आधिपत्य करने पर आमादा हैं, इसलिये उचित एवं सुविधाजनक (Just and Convinient) यही है कि सम्पत्तियों को नष्ट एवं खुर्द–बुर्द होने से बचाने एवं विपक्षीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात का लाभ प्राप्त न करें इसके लिए वादग्रस्त सम्पत्तियों के संबंध में रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थीगण ने कथन किया कि पक्षकारों के बीच कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जायेंगे, नई नई समस्याएं अस्तित्व में आ जायेंगी, स्थिति पुनः यथावत कराया जाना संभव नहीं होगा, प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि संभव नहीं होगी, जबकि रिसीवर नियुक्त किये जाने की अवस्था में किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई हानि या क्षति होने वाली नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः वादग्रस्त आराजियात के संबंध में रिसीवर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त सम्पत्ति अविलम्ब प्रार्थीगण में से किसी एक प्रार्थी अथवा न्यायालय जिसे उचित समझे, उसे सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करें।

विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब मय प्रतीप याचिका प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया कि भवानीशंकर जी के यहां पक्षकारों के पूर्वजों ने परसराम जी के पुत्र विजयशंकर को गोद रखा और विजयशंकर जी के यहां देवकिशन जी के पुत्र बिहारीलाल को सामाजिक रीतिरिवाज से गोद रखा गया है। पक्षकारों के परिवार का सजरा जवाब की कलम संख्या 2 में वर्णितानुसार है। भवानीशंकर के नाम की जायदाद उनके गोद पुत्र विजयशंकर के नाम से भू

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

अभिलेख में गोद पुत्र के नाते अंकित हुई थी। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 9 में वर्णित आराजियात के साबिक नंबर इस प्रकार है कि आराजी नंबर 621 साबिक नंबर 689, आराजी नंबर 2217 साबिक नंबर 1946, आराजी नंबर 392 साबिक नंबर 396/1 व 396/2, आराजी नंबर 469 साबिक नंबर 1446/2, आराजी नंबर 470 साबिक नंबर 1445/2, आराजी नंबर 520 साबिक नंबर 659, आराजी नंबर 525 साबिक नंबर 664, आराजी नंबर 526 साबिक नं. 662, आराजी नं. 698 साबिक नं. 721 मीन, आराजी नं. 699 साबिक नं. 721, आराजी नं. 700 साबिक नं. 724 मीन, आराजी नं. 701 साबिक नं. 724 मीन, आराजी नं. 702 साबिक नं. 724 मीन, आराजी नं. 2190 साबिक नं. 1941 एवं आराजी नं. 2191 साबिक नं. 1942 हैं। स्वर्गीय परसराम के पिता खेमराज व स्वर्गीय भवानीशंकर के पिता मोड़ जी अलग–अलग होकर आपस में काका–बाबा के भाई थे। परसराज के पुत्र विजयशंकर को भवानीशंकर के यहां गोद रखा गया और विजयशंकर के यहां देवकिशन के पुत्र बिहारीलाल को गोद रखा गया। बिहारीलाल की बेवा भागुबाई थी जो कि बाल बिधवा थी जिसके कोई जायन्दा औलाद नहीं थी। विजयशंकर के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी राजस्व ग्राम धोइन्दा व डिप्टी की समस्त जायदाद गोद के आधार पर हो गयी। विजयशंकर की समस्त जायदाद गोद के आधार पर मुसम्मात भागु बेवा के आधिपत्य में आ जाने से प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों कन्हैयालाल वगैरह ने स्व. विजयशंकर की जायदाद में हिस्सा प्राप्त करने हेतु भागु व देवकिशन के विरुद्ध एक वाद न्यायालय मुंसफी राजसमन्द में प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नं. 50/1954 ई. दी. थे, जिसमें समझौता कर दिनांक 09.08.1955 को अदालत के बाहर इकरार निष्पादित किया गया और उक्त वाद को दिनांक 12.03.1956 को विड्रॉ कर लेने से वाद खारिज हो गया। उक्त इकरार अनुसार देवकिशन व विजयशंकर की समस्त जायदाद को सम्मिलित (इकजाई) कर सम्पूर्ण जायदाद को छह हिस्सों में विभाजित कर दिया और देवकिशन, मगनलाल, शिवनाथ, कन्हैयालाल, चतुर्भुज व भागु बेवा प्रत्येक को अलग–अलग हिस्सा मिल गया। देवकिशन के हिस्से में आराजी नं. 1945 वर्तमान 2214, आराजी नं. 1980 वर्तमान 2187, आराजी नं. 676/2 वर्तमान 517, आराजी नं. 1449, आराजी नं. 1450, आराजी नं. 689 वर्तमान 621, आराजी नं. 721 वर्तमान 698, आराजी नं. 396/1 वर्तमान 392 कुल किता 8 आराजी आई। मु. भागु के हिस्से में आराजी नं. 1941 वर्तमान 2190, आराजी नं. 1942 वर्तमान 2191, आराजी नं. 1935 वर्तमान 2217, आराजी

सहायक क...
(उपखण्ड अधि...
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

नं. 659/2 वर्तमान 520, आराजी नं. 661 वर्तमान 527, आराजी नं. 662 वर्तमान 526, आराजी नं. 664 वर्तमान 525, आराजी नं. 721 वर्तमान 699, आराजी नं. 396/2 वर्तमान 392 व आराजी नं. 1946 वर्तमान 2217, कुल किता 10 आराजी आई। इसी प्रकार मगनलाल के हिस्से में आराजी नं. 666 वर्तमान 602, आराजी नं. 673 वर्तमान 523, आराजी नं. 681/2 वर्तमान 511, आराजी नं. 1978 वर्तमान 2189, आराजी नं. 1938 वर्तमान 2213, आराजी नं. 722 वर्तमान 697, आराजी नं. 724 वर्तमान 700,701,702 व 703, आराजी नं. 397 वर्तमान 393, आराजी नं. 398 वर्तमान 394, आराजी नं. 2115/1 एवं आराजी नं. 672 वर्तमान 604, कुल किता 11 आराजी आई। कन्हैयालाल के हिस्से में आराजी नं. 1984 वर्तमान 2186, आराजी नं. 1937 वर्तमान 2231, आराजी नं. 980 वर्तमान 512, आराजी नं. 982 वर्तमान 512, आराजी नं. 988 वर्तमान 622 व आराजी नं. 1446/2 वर्तमान 469, कुल किता 6 आराजी आई। शिवनाथ के हिस्से में आराजी नं. 1971 वर्तमान 2206, आराजी नं. 1985 वर्तमान 2197, आराजी नं. 660 वर्तमान 521, आराजी नं. 678/2 वर्तमान 514, आराजी नं. 689 वर्तमान 621 व आराजी नं. 1935 वर्तमान 2227, कुल किता 6 आराजी आई। इसी प्रकार चतरभुज के हिस्से/बंटवारे में आराजी नं. 1972 वर्तमान 2196, आराजी नं. 1973 वर्तमान 2196, आराजी नं. 1975 वर्तमान 2194, आराजी नं. 1976, आराजी नं. 1977 वर्तमान 2192, आराजी नं. 684 वर्तमान 626, आराजी नं. 661 वर्तमान 527, आराजी नं. 679 वर्तमान 513 व आराजी नं. 1447/2 वर्तमान 468, कुल किता 9 आराजी आई। उक्त हिस्से अनुसार सभी ने अपने अपने हिस्से की आराजी व खेतों का मौके पर विभाजन कर लिया, लेकिन राजस्व भू अभिलेख में विभाजन/बंटवारा नहीं हुआ। मगनलाल, कन्हैयालाल, शिवनाथ व चतर्भुज चारों ने अपने अपने हिस्से में आये सभी कृषि आराजियात को सम्पूर्ण रकबे सहित संयुक्त खातेदारी में अंकित होते हुए भी खेतों का पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को बिकाव कर भौतिक कब्जा क्रयकर्ताओं को सुपुर्द कर दिया और वर्तमान मे विक्रयशुदा आराजियात का रकबा क्रयकर्ताओं के नाम भू अभिलेख में अंकित हैं। देवकिशन ने भी अपने हिस्से में आये आराजी नंबर 392 व 698 को छोड़कर शेष आराजियात अन्य व्यक्तियों को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख विक्रय कर दी और वर्तमान में क्रयकर्ताओं के नाम भू अभिलेख में अंकित हैं। राजस्व अभिलेखों में क्रयकर्ताओं के नाम नये खाते खोलकर विक्रयशुदा आराजियात उनके नाम अंकित कर दी, लेकिन विक्रयकर्ताओं

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

मगनलाल, कन्हैयालाल, शिवनाथ, चतरभुज व देवकिशन के नाम संयुक्त खाते से नहीं हटाये गये। मु. भागू बाई ने अपने हिस्से में आये एक भी आराजी को विक्रय नहीं किया। प्रार्थीगण ने मु. भागू बाई के हिस्से की सभी आराजियात एवं देवकिशन के शेष बचे कृषि आराजियात नंबर 392 व 698 को सहखातेदारी की बताते हुए वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थीगण व इनके पूर्वाधिकारियों के नाम भू अभिलेख में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही व त्रुटि की वजह से मुसम्मात भागु बेवा के हिस्से की सभी आराजियात व देवकिशन के हिस्से की आराजी नंबर 392 व 698 में गलत रूप से अंकित हैं। प्रार्थीगण व उनके पूर्वाधिकारी वादग्रस्त आराजियात के सिर्फ नुमाइशी खातेदार मात्र हैं। प्रार्थीगण ने आराजियात के कयकर्ताओं को पक्षकार बनाये बिना यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मु. भागु बेवा ने अपने जीवनकाल में विपक्षीगण के पक्ष में विधिवत एक वसीयतनामा निष्पादित किया था। प्रार्थीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मुसम्मात भागु के उत्तराधिकारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रार्थना पत्र की कलम सं. 17 में वर्णित राजस्व ग्राम डिप्टी की सभी कृषि आराजियात मुसम्मात भागु बेवा के नाम तन्हा अकेले भू अभिलेख में दर्ज हैं तथा प्रार्थीगण उक्त आराजियात के सहखातेदार/रिकॉर्डेड खातेदार भी नहीं हैं। मु. भागू बाई ने उक्त कृषि आराजियात बाबत् एक वसीयतनामा विपक्षीगण के नाम निष्पादित किया, जिसके आधार पर विपक्षीगण उक्त आराजियात के स्वामी हैं। मु.नं. 50/1954 ई.दी. में हुए समझौते बाबत् निष्पादित इकरार के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 प्रभाव में आया जिसकी धारा 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत मु. भागू बाई अपने हिस्से में आई आराजियात की सम्पूर्ण अधिकारिणी बन गई और इन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए उसने अपने जीवनकाल में विधिवत वसीयतनामा विपक्षी सं. 1 से 4 के पक्ष में निष्पादित किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) के प्रावधान लागू होने के पश्चात् प्रार्थीगण का तथाकथित इकरारनामा निष्फल होकर नल एण्ड वॉइड हो गया और मुसम्मात भागु बाई के वे सारे सीमित हक अधिकार कानूनी रूप से समाप्त हो गये एवं पूर्ण हक प्राप्त हो गए। प्रार्थीगण स्व. भागु बाई व देवकिशन के हिस्से की कृषि आराजियात का विभाजन कराने के अधिकारी नहीं हैं। मुसम्मात भागु बाई के स्वर्गवास के बाद से उनकी सभी आराजियात के क्षेत्रफल पर विपक्षीगण का ही आधिपत्य है। प्रार्थीगण केवल नुमाइशी खातेदार मात्र हैं।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

वादग्रस्त/वसीयती जायदाद पर प्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने हेतु फसलों की चोरी किये जाने बाबत् विपक्षीगण द्वारा पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के क्षेत्रफल पर जबरन कब्जा आधिपत्य करने पर उतारू हैं, इस कारण तहसीलदार राजसमन्द को रिसीवर नियुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

विपक्षीगण की ओर से जवाब के साथ ही प्रतीप याचिका प्रस्तुत कर जवाब में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह भी अभिकथित किया गया कि जवाब की कलम सं. 2 में वर्णित पक्षकारों के सजरे अनुसार स्व. परसराम के पिता खेमराज व स्व. भवानीशंकर के पिता मोड़ जी अलग अलग होकर दोनों आपस में काका–बाबा के भाई थे। परसराम पिता खेमराज के पुत्र विजयशंकर को भवानीशंकर पिता मोड़ के गोद गये और विजयशंकर के यहां देवकिशन के पुत्र बिहारीलाल गोद गये। बिहारीलाल की बेवा मु. भागुबाई बाल बिधवा थी जिसके कोई भी जायन्दा औलाद नहीं थी। विजयशंकर का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उनकी राजस्व ग्राम धोइन्दा व डिप्टी की समस्त जायदाद भागु के स्वामित्व व आधिपत्य में गोद के आधार पर हो गई। किशनराम के दो पुत्र हुए खेमराज व मोड़ जी। खेमराज को 1/2 हिस्सा व मोड़ जी को 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ और उसी अनुसार मोड़ जी के पुत्र भवानीशंकर व भवानीशंकर के गोद पुत्र विजयशंकर तथा विजयशंकर के गोद पुत्र बिहारीलाल की विधवा भागुबाई को 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ। मुकदमा नं. 50/1954 ई.दी. में समझौता होकर दिनांक 09.08.1955 को अदालत के बाहर इकरार निष्पारित किया और उक्त वाद विड्रॉ किये जाने से खारिज किया गया। इकरार के अनुसार देवकिशन व विजयशंकर की समस्त जायदाद को सम्मिलित कर छह हिस्सा में विभाजित कर देवकिशन, मगनलाल, शिवनाथ, कन्हैयालाल, चतरभुज व मु. भागु बेवा प्रत्येक को अलग अलग आराजियात का बंटवारा कर हिस्सा सुपुर्द कर दिया, जिसका विवरण पूर्व में जवाब में अंकितानुसार है। मगनलाल, कन्हैयालाल, शिवनाथ व चतरभुज चारों ने अपने हिस्से में आये आराजियात को सम्पूर्ण रकबे सहित संयुक्त खातेदार में अंकित होते हुए भी पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को बिकाव कर भौतिक कब्जा क्रयकर्ताओं को सुपुर्द कर दिया, जिनके नाम भू अभिलेख में अंकित हैं। देवकिशन ने भी अपने हिस्से में आये आराजी नंब. 392 व 698 को छोड़कर शेष आराजियात को अन्य व्यक्तियों को जरिये पंजीकृत विक्रय अभिलेख से विक्रय कर दी, जिनके नाम भू अभिलेख

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

में अंकित है, परन्तु उक्त विक्रयकर्ताओं मगनलाल, कन्हैयालाल, शिवनाथ, चतरभुज व देवकिशन के नाम संयुक्त खाते से भू अभिलेख से नहीं हटाये गये। प्रार्थीगण चतुर्भुज व अन्य एवं इनके पूर्वाधिकारियों के नाम भू अभिलेख में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही व त्रुटि की वजह से मुसम्मात भागू बेवा के हिस्से की सभी आराजियात व देवकिशन के हिस्से की आराजी नंबर 392 व 698 में उनके साथ गलत रूप से संयुक्त खातेदारी में अंकित हैं। प्रार्थीगण चतुर्भुज व अन्य एवं उनके पूर्वाधिकारी वादग्रस्त आराजियात के सिर्फ नुमाइशी खातेदार मात्र हैं। आराजी नंबर 2217, 392, 520, 526, 699, 2190 व 2191 का सम्पूर्ण रकबा एवं आराजी नंबर 392 का आधा हिस्सा सिर्फ मुसम्मात भागू बेवा के हिस्से की है एवं आराजी नंबर 698 का पूरा रकबा व आराजी नंबर 392 का आधा हिस्सा देवकिशन के हिस्से का है। मुसम्मात भागु ने अपने जीवनकाल में विपक्षीगण के पक्ष में विधिवत वसीयतनामा निष्पादित किया था। वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगण का जरिये वसीयत एवं उत्तराधिकार के आधार पर हक/स्वत्व व अधिकार है एवं उनका ही स्वामित्व व आधिपत्य है। प्रार्थीगण चतुर्भुज व अन्य नुमाइशी खातेदार मात्र हैं। प्रार्थीगण विपक्षीगण को वादग्रस्त आराजियात के उपयोग उपभोग में जबरन बाधा पहुंचा रहे हैं और प्रार्थीगण चतर्भुज व अन्य द्वारा आप न्यायालय में प्रस्तुत वाद व इस प्रार्थना पत्र की आड़ में वादग्रस्त आराजियात जो कि मु. भागुबाई की मृत्यु के पश्चात् जरिये वसीयत विपक्षीगण के कब्जे आधिपत्य में होकर विपक्षीगण के हक की है, के क्षेत्रफल पर जबरन कब्जा करने/खुर्दबुर्द करने/नष्ट करने/अवैध रूप से हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। वादग्रस्त भूमियां अर्थात् वसीयती जायदाद में नुकसान कारित कर रहे हैं। विपक्षीगण को उनके हक आधिपत्य की वसीयती जायदाद से जबरन गुण्डागर्दी से प्रार्थीगण भूमाफियाओं से मिलीभगत कर विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। वादग्रस्त जायदाद वसीयती जायदाद है और इस जायदाद बाबत् आप न्यायालय, जिला न्यायाधीश राजसमन्द व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य कई प्रकार के मुकदमे वर्षों से लंबित हैं, इस कारण वादग्रस्त जायदाद/वसीयती जायदाद का संरक्षण किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। विपक्षीगण ने वादग्रस्त/वसीयती जायदाद पर प्रार्थीगण व अन्य द्वारा जबरन कब्जा करने, फसलें चोरी करने बाबत् पुलिस थाने में भी प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गईं। वादग्रस्त जायदाद नष्ट किये जाने/हस्तान्तरित किये जाने/खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना है। वादग्रस्त

सहायक कले...
(उपखण्ड अधि...
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

जायदाद पर विपक्षीगण को प्रार्थीगण उचित प्रबन्धन भी नहीं करने दे रहे हैं, इस कारण वादग्रस्त जायदाद इन मीडियो (IN MEDIO) अर्थात् अधरझूल जैसी स्थिति हो गई है, इस कारण न्यायहित में वादग्रस्त जायदाद/वसीयती जायदाद की सुरक्षा एवं उचित प्रबन्धन हेतु तहसीलदार राजसमन्द को रिसीवर नियुक्त किया जावे। इस हेतु विपक्षीगण भी सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं। साथ ही विपक्षीगण ने अपने प्रतीप प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने स्वीकार किया कि मृतका श्रीमती भागुबाई के स्वर्गवास से पहले तक उक्त वादग्रस्त भूमियां मु. भागुबाई के आधिपत्य में थीं। अब चूंकि मु. भागुबाई का स्वर्गवास हो गया है तथा वसीयत से कब्जा विपक्षीगण का हो गया है। वादग्रस्त सम्पत्ति पर आधिपत्य को लेकर प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति इन मीडियो (IN MEDIO) अर्थात् अधरझूल जैसी है। इन तथ्यों को प्रार्थीगण भी स्वीकार कर रहे हैं। अतः प्रतीप याचिका स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम धोइन्दा व डिप्टी की स्व. श्रीमती भागु बाई की आराजियात पर तहसीलदार राजसमन्द को रिसीवर नियुक्त किया जाकर वादग्रस्त आराजियात के क्षेत्रफल पर रिसीवर कब्जा प्राप्त कर अपने आधिपत्य में लेवें और मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाया जावे। विपक्षीगण की ओर से प्रतीप याचिका के साथ फेहरिस्त दस्तावेज सहायक कलक्टर, राजसमन्द के प्रकरण संख्या 76/66 राजस्व वाद, भागु बेवा द्वारा निष्पादित वसीयत की फोटो प्रति, पुलिस थाना राजनगर में दर्ज एफ.आई.आर नं. 186/98 व एफ.आर. व एफ.एस.एल. रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण सं. 23/1999 प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय की फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत कीं।

प्रार्थीगण की ओर से विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतीप याचिका का जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रतीत याचिका का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थीगण का जवाब दिनांक 07.01.2025 को बंद कर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 10.01.2025 को प्रार्थीगण ने अपनी रिसीवर नियुक्ति की याचिका को नॉटप्रैस किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी याचिका नॉटप्रैस कर दिये जाने से विपक्षीगण की प्रतीत याचिका ही सुनवाई हेतु शेष रही। विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतीत याचिका पर दिनांक 10.01.2025 को उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

प्रकरण में मृतक प्रार्थीगण के कायम मुकाम मूल प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये, परन्तु इस याचिका में प्रार्थीगण ने उपरोक्त कायम मुकाम नहीं कराये। मूल वाद के कायम मुकाम को इस प्रकरण में रिकॉर्ड पर माना गया। इस कारण मूल वाद के रिकॉर्ड पर उपलब्ध पक्षकारान के आधार पर ही यह आदेश पारित किया जा रहा है।

उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतीत याचिका अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 40 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के निस्तारण के लिए आवश्यक बिन्दु प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर हमारा विवेचन, विश्लेषण व निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं :–

प्रथम दृष्ट्या मामला :–

विपक्षीगण का अपनी प्रतीत याचिका के माध्यम से मुख्यतः कथन रहा है कि श्रीमती भागुबाई ने वादग्रस्त जायदाद बाबत् वसीयत विपक्षीगण के पक्ष में निष्पादित किये जाने के कारण भागुबाई की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त आराजियात जरिये वसीयत विपक्षीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की हो गई है, जबकि प्रार्थीगण चतुर्भुज व अन्य वादग्रस्त आराजियात के नुमाइशी खातेदार मात्र हैं। विपक्षीगण का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजियात के उपयोग उपभोग में जबरन बाधा पहुंचा रहे हैं और प्रस्तुत वाद व इस प्रार्थना पत्र की आड़ में विपक्षीगण के कब्जे आधिपत्य की जरिये वसीयत प्राप्त आराजियात के क्षेत्रफल पर जबरन कब्जा करने, खुर्दबुर्द करने, नष्ट करने व अवैध रूप से हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। साथ ही वादग्रस्त जायदाद बाबत् अलग–अलग न्यायालयों में राजसमन्द व उच्च न्यायालय जोधपुर में हक स्वत्व बाबत् मुकदमे लंबित है। वादग्रस्त वसीयती जायदाद में नुकसान कारित कर रहे हैं व जबरन गुण्डागर्दी से बेदखल कर व भूमाफियाओं से मिलीभगत कर अवैध रूप से जायदाद को विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा जायदाद का विपक्षीगण को उचित प्रबन्धन नहीं करने दे रहे हैं और वादग्रस्त जायदाद इन मीडियो अर्थात् अधरझूल जैसी हो गई है। इन कारणों से जायदाद की सुरक्षा व उचित प्रबन्धन हेतु तहसीलदार, राजसमन्द को रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

इस प्रकार इस प्रकरण में मुख्य रूप से विवाद स्वर्गीय भागुबाई की वादग्रस्त आराजियात के संबंध में दोनों पक्षों में प्रथमदृष्ट्या विद्यमान होना समक्ष आता है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करें तो विपक्षीगण की ओर से अपने जवाब के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनमें वसीयत दिनांक 02.07.1986 की प्रति का अवलोकन किया गया। उक्त वसीयत के अवलोकन से प्रकट है कि वादग्रस्त जायदाद बाबत् मु. भागु बेवा ने एक वसीयतनामा दिनांक 02.07.1986 को विपक्षीगण श्री मदनमोहन, श्री राधामोहन, श्री हरिमोहन व श्री शिवमोहन के पक्ष में निष्पादित किया गया था। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर मौजूद अन्य दस्तावेज प्रार्थीगण की ओर से इस वसीयत बाबत् एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/98 पुलिस थाना राजनगर में धारा 420, 419, 467, 468 व 471 भा.द.सं. के अपराध में दिनांक 02.04.1998 को विपक्षीगण के विरुद्ध दर्ज करवाये जाने, जिसमें पुलिस थाना राजनगर के अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस वसीयत बाबत् सम्पूर्ण जांच कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच करवाने के पश्चात् पाया कि मु. भागु बेवा द्वारा निष्पादित वसीयत सही पाये जाने पर एफ.आर. सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जाने का तथ्य प्रकट होता है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुए समस्त अनुसंधान बाबत् दस्तावेज एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी पत्रावली पर मौजूद है, जिसका भी अवलोकन किया गया। इसके साथ ही विपक्षीगण की ओर से वादग्रस्त जायदाद बाबत् प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द में सन् 1966 में मु. भागु बेवा व विपक्षीगण के पूर्वाधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके मुकदमा नंबर 76/66 राजस्व वाद एवं इस मुकदमे का जवाब भी विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया। विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त सभी दस्तावेजात एवं उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादग्रस्त जायदाद मु. भागुबेवा की ही स्वामित्व की होकर जब तक भागु बेवा जीवित रही तब तक वह ही वादग्रस्त जायदाद का उपयोग उपभोग करती रही। मु. भागु बेवा की मृत्यु के पश्चात् उसकी वादग्रस्त जायदाद पर प्रार्थीगण ने जरिये इकरार अपना हक बताया है, जबकि विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात विशेषकर मु. भागु देवी द्वारा निष्पादित उक्त वसीयतनामे के अवलोकन से वादग्रस्त जायदाद विपक्षीगण के हक व आधिपत्य की होना प्रथमदृष्ट्या प्रकट हुआ है। यद्यपि वादग्रस्त जायदाद के स्वामित्व के संबंध में अंतिम निष्कर्ष मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य के उपरांत ही विनिश्चित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

किया जाना है, परन्तु इस प्रक्रम पर दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे पर वादग्रस्त कृषि आराजियात पर कब्जा/हस्तान्तरण करने आदि के संबंध में आक्षेप प्रकट किये गये हैं तथा विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद पर रिसीवर नियुक्ति के अनुतोष चाहा गया है। साथ ही विपक्षीगण की ओर से इस न्यायालय में प्रतीप याचिका अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 40 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत की गई है और वादग्रस्त जायदाद पर रिसीवर नियुक्ति चाहते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण की ओर से विपक्षीगण की प्रतीप याचिका का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्वयं की याचिका को नॉटप्रैस कर दिये जाने से विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतीत याचिका में वर्णित तथ्यों का कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इस संबंध में विधि का अवलोकन किया गया। सिविल प्रकिया संहिता के 40 के नियम 1 व 2 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में रिसीवर नियुक्ति के संबंध में प्रावधान वर्णित हैं कि जहां न्यायालय को यह न्यायोचित और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है वहां न्यायालय आदेश द्वारा किसी सम्पत्ति का रिसीवर चाहे डिकी के पहले या पश्चात् नियुक्त कर सकेगा और सम्पत्ति के आपन, प्रबन्ध, संरक्षण, परीक्षण हेतु न्यायालय ठीक समझे, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

विपक्षीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत **आर.आर.डी. 1974 पेज 477, आर.आर.डी. 1976 पेज 18, आर.आर.डी. 1995 पेज 444, आर.आर.डी. 1992 पेज 565, आर.आर.डी. 1995 पेज 719, आर.आर.डी. 1997 पेज 496, आर.आर.डी. 1986 पेज 622, आर.आर.डी. 1989 पेज 470, आर.आर.डी. 1995 पेज 444, आर.आर.डी. 1990 पेज 328, आर.आर.डी. 1999 पेज 500, आर.आर.डी. 2002 पेज 2, डी.एन.जे. 2013 (2) पेज 773** प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांतों में राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यही अभिनिर्धारित किया है कि सम्पत्ति In Medio हो और नापूर्ति होने वाले नुकसान का डर हो तो अदाता तहसीलदार को रिसीवर नियुक्ति के आदेश दिये जा सकते हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतीप याचिका व इसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का कोई भी खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्ट्या यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त जायदाद मु. भागु ...की जायदाद है और उसकी मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त जायदाद के हक,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

स्वत्व बाबत् विवाद है और विपक्षीगण वादग्रस्त जायदाद बाबत् कथन कर रहे हैं कि सम्पत्ति In Medio अर्थात् अधरझूल की स्थिति में है तथा विपक्षीगण की प्रतीप याचिका में यह भी वर्णित किया है कि वादग्रस्त सम्पत्तियों को नष्ट, खुर्दबुर्द एवं हस्तान्तरण से बचाने के लिए वादग्रस्त जायदाद पर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित एवं सुविधाजनक (Just and Convinient) है। इस प्रकार उक्त तथ्यों को देखते हुए उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर लागू होना पाये जाते हैं। यह पुनः उल्लेखित किया जाना समीचीन है कि प्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद विपक्षीगण की प्रतीत याचिका का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वॉटप्रैस कर लिये जाने से विपक्षीगण द्वारा प्रतीत याचिका में वर्णित तथ्य अखण्डनीय रहे हैं। इस प्रकार वादग्रस्त जायदाद मु. भागु बाई के हक व स्वामित्व की होना एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी उक्त वादग्रस्त जायदाद के हक व स्वत्व के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होने का तथ्य प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित होता है. ऐसी स्थिति में मु. भगुबाई के हक स्वामित्व की वसीयति जायदाद को नष्ट होने, खुर्दबुर्द होने व हस्तान्तरित होने व हानि होने की आशंका तथा वादग्रस्त जायदाद का समुचित प्रबंधन नहीं हो पाने से अन्य संक्रमण की पूर्ण संभावना प्रतीत होने से उक्त वादग्रस्त जायदाद को संरक्षित किये जाने हेतु वादग्रस्त जायदाद पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार प्रथमदृष्ट्या मामले का बिन्दु निरतारित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षतिः–

चूंकि प्रथमदृष्ट्या मामले के बिन्दु के विवेचन में वादग्रस्त जायदाद स्व. भागुबाई के हक व स्वामित्व की होने एवं उक्त जायदाद के हक, स्वत्व व कब्जे के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होना पाया गया है. ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त जायदाद को किसी भी पक्षकार द्वारा नष्ट, खुर्दबुर्द या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी एवं किसी भी एक पक्षकार को अत्यधिक असुविधा एवं भारी आर्थिक क्षति होने की पूर्ण संभावना रहेगी, जबकि वादग्रस्त जायदाद को संरक्षित किये जाने हेतु रिसीवर नियुक्त किये जाने में किसी भी पक्षकार को कोई असुविधा या किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति की कोई संभावना नहीं है। तदनुसार सुविधा का संतुलन व

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं के विवेचन के परिणामस्वरूप वादग्रस्त जायदाद के संरक्षण के लिए रिसीवर की नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतीप याचिका, प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से न्यायालय के विनम्र मत में चूंकि तहसीलदार, राजसमन्द एक राजकीय अधिकारी होकर कृषि भूमियों के बाबत् राजस्व अभिलेखों का पोषण व अंकन तहसीलदार द्वारा ही किया जाता है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजस्व अभिलेखों से संबंधित एवं निष्पक्ष एजेंसी होने से उक्त समस्त तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी व इस प्रकरण में वादग्रस्त जायदाद के संरक्षण हेतु तहसीलदार, राजसमन्द को रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतीप याचिका में वादग्रस्त जायदाद मु. भागु बेवा की जायदाद होने और उसकी मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त जायदाद के हक, स्वत्व बाबत् विवाद होने का तथ्य अंकित किया गया है और दोनों ही पक्षकारों द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति In Medio अर्थात् अधरझूल में होने की याचिकाएं इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपनी याचिका नॉटप्रैस कर दी गई। यह तथ्य निर्विवादित है कि दोनों ही पक्ष वादग्रस्त जायदाद पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहते हैं। दोनों ही पक्षों द्वारा अपनी अपनी याचिकाओं में वादग्रस्त आराजियात के क्षेत्रफल को नष्ट, खुर्दबुर्द एवं हस्तान्तरण से बचाने के लिए वादग्रस्त जायदाद पर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित एवं सुविधाजनक (Just and Convinient) होने के तथ्य पत्रावली पर मौजूद हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषणोपरांत विपक्षीगण की प्रतीप याचिका स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात के क्षेत्रफल पर तहसीलदार, राजसमन्द को मूलवाद के निस्तारण तक रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः **विपक्षीगण मदनमोहन वगैरह की ओर से प्रस्तुत प्रतीप याचिका** अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 40 नियम 1, 2 सपठित 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार की जाकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार राजस्व ग्राम धोइन्दा की वर्तमान आराजी नंबर 621, 2217, 392, 469, 470, 520, 525, 526, 698, 699, 700, 701, 702, 2190 व 2191 के क्षेत्रफल को तथा राजस्व ग्राम डिप्टी की वर्तमान आराजी नंबर 12, 13, 21, 420, 227, 223 के क्षेत्रफल को नष्ट, खुर्दबुर्द, हस्तान्तरित होने से

सहायक कले
(उपखण्ड अधि
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

रोकने एवं संरक्षित किये जाने हेतु तहसीलदार, राजसमन्द को उपरोक्त आराजियात के क्षेत्रफल पर रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

तहसीलदार राजसमन्द को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार राजस्व ग्राम धोइन्दा की वर्तमान आराजी नंबर 621, 2217, 392, 469, 470, 520, 525, 526, 698, 699, 700, 701, 702, 2190 व 2191 के क्षेत्रफल पर तथा राजस्व ग्राम डिप्टी की वर्तमान आराजी नंबर 12, 13, 21, 420, 227, 223 के क्षेत्रफल पर कब्जा व आधिपत्य विपक्षीगण व किसी अन्य के भी पास हो तो कब्जा प्राप्त कर अपने अधिकार में लेकर इस आदेश का अंकन वर्तमान जमाबंदी (चौसाले) में अंकित करें और दोनों राजस्व गावों की उपरोक्त कृषि आराजियात के क्षेत्रफल को मूल वाद के निस्तारण तक नष्ट, क्षतिग्रस्त, हस्तान्तरण, अतिक्रमण इत्यादि होने से संरक्षित करें व उपरोक्त कृषि आराजियात की देखरेख, व्यवस्था करें। **इस आदेश की पालना उपरोक्तानुसार कर रिपोर्ट लिखित में प्रतिवर्ष इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।**

साथ ही दोनों पक्षकारों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि तहसीलदार राजसमन्द को उक्त जायदाद के प्रबंध व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा रुकावट उत्पन्न नहीं करें और न ही किसी नौकर चाकर, एजेंट इत्यादि से करावें।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 28.01.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द